न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 271/2024 — अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अचलाराम पुत्र हराराम 2. कानाराम पुत्र हराराम 3. छगनाराम पुत्र हराराम 4. देवाराम पुत्र हराराम जाति जाट, निवासी निम्बासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. मगाराम पुत्र सुरताराम जाति जाट, निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 :— श्री बालाराम गोदारा।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 14.07.2025

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा निम्बसर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 183/66 रकबा 5.9084 हैक्टेयर की आयी हुई है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 157/66 रकबा 6.2321 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है। उक्त विवादित आराजी का पूर्व में मूल खसरा नम्बर 66/2 का विभाजन होने पर रेकर्ड में अंकन किया गया। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर रहवासी घर और कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त व आवेदन पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता सहमति जवाबदावा पेश कर आवेदन के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। उभयपक्ष प्रभावित पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे [illegible] को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को नि[illegible] कि[illegible] जाकर आवेदन पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश [illegible] जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस [illegible] की ताईद करते हुए तदनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.27 13:18:04 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति कब्जा काश्त एवं आवेदन के संलग्न नक्शा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव * जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव

...ष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सहमति जवाब पेश किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस में आवेदन पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। साथ ही प्रभावित खातेदारान् द्वारा विवादित आराजी के खसरा नम्बर की वर्तमान तरमीम निरस्त कर आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा निम्बासर, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 183/66 रकबा 5.9084 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 157/66 रकबा 6.2321 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। आवेदन पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 14.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.27 13:18:04 IST
Reason: SelfAttested